न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —70 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/112

1. हरकुंवर बाई पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. रणजीत सिंह आत्मज भवानी सिंह
2. गोपाल सिंह आत्मज भवानी सिंह
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज भवानी सिंह
4. इन्साफ सिंह आत्मज भवानी सिंह
5. प्रेम बाई पुत्री भवानी सिंह
6. घींसी बाई पुत्री भवानी सिंह
7. गुड्डी बाई पुत्री भवानी सिंह
8. अवतार बाई पुत्री भवानी सिंह
9. निर्मला बाई पुत्री भवानी सिंह
10. सोनू बाई उर्फ उर्मिला पुत्री भवानी सिंह
11. आरती पुत्री शिवसिंह
12. पूजा पुत्री शिवसिंह
13. रेखा बाई पुत्री शिवसिंह
14. परमवीर सिंह पुत्र शिवसिंह
15. राजवीर सिंह पुत्र शिवसिंह
16. रूपा बाई पत्नी भवानी सिंह
    जाति राजपूत निवासीगण कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 29.06.2015 सपठित इंतकाल नम्बर 365 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

उपस्थितः—

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलांट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.05.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कुम्भकोट स्थित खाता संख्या 217, 219, व 220 में स्थित भूमियां जो कि खातेदार भवानीसिंह आत्मज रामसिंह जी के नाम दर्ज थी, खातेदार फौत होने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मृतक खातेदार का फोती इंतकाल संख्या 365 दिनांक 29.6.2015 को स्वीकृत किया गया ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 365 दिनांक 29.06.2026 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 15.07.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि ग्राम कुम्भकोट में पुराने खसरा नम्बर 25,27, 175, 36, 171, 172, 170 की कुल 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक भवानी सिंह के खाते दर्ज चली आ रही थी । अपीलांटा खातेदार मृतक भवानी सिंह जी की छोटी पत्नी है । भवानी सिंह जी अपीलांटा के पास ही निवास करते थे तथा अपीलान्टा की सेवा से प्रसन्न होकर भवानीसिंह जी द्वारा उपरोक्त भूमि की वसीयत अपीलान्टा के नाम दिनांक 13.12.2004 को आलेखित कर उपपंजीयक रामगंजमण्डी के यहां पंजीयन

करवाई थी । वसीयत की गई भूमि के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 232, 234, 452, 636, 458, 457, 459 कुल 5.16 हे0 कायम किये गये जो अन्य भूमियों के साथ दर्ज कर दिये जिसमें से खसरा नम्बर 232 की 2.66 हे0 व खसरा नम्बर 234 की 0.31 हे0 बेचान हो गयी शेष भूमि पर भवानी सिंह जी काबिज काश्त रहे । भवानी सिंह जी के देहावसान के बाद इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलान्टा के पक्ष में आलेखित रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्टा द्वारा कहीं दिये जाने के कारण वक्त इंतकाल पेश नहीं कर सकी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक भवानी सिंह जी की वसीयत की गयी भूमि के साथ अन्य भूमियों का भी फोती इंतकाल सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दिया । अतः इंतकाल नं0 365 दिनांक 29.6.2015 को वसीयत की गयी भूमि की सीमा तक निरस्त किया जावे व स्व0 भवानी सिंह की वसीयत के अनुसार खसरा नम्बर 452,636,458,457,459 की पांच किता की 2.19 हे0 भूमि का इंतकाल अपीलान्टा के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अपीलान्टा के नाम दर्ज किये जाने व रेस्पो0 नं0 1 लगायत 16 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । नोटिस रेस्पोडेन्ट को डिलीवर्ड हो चुके है किन्तु रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी में पुराने खसरा नम्बर 25,27,175,36,171,172,170 की कुल 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक भवानी सिंह के खाते दर्ज चली आ रही थी । अपीलान्टा खातेदार मृतक भवानी सिंह के खाते दर्ज चली आ रही थी । अपीलांटा खातेदार मृतक भवानी सिंह जी की छोटी पत्नी है । भवानी सिंह जी अपीलांटा के पास ही निवास करते थे तथा अपीलान्टा की सेवा से प्रसन्न होकर भवानीसिंह जी द्वारा उपरोक्त भूमि की वसीयत अपीलान्टा के नाम दिनांक 13.12.2004 को आलेखित कर उपपंजीयक रामगंजमण्डी के यहां पंजीयन करवाई थी । वसीयत की गई भूमि के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 232,234,452,636,458,457,459 कुल 5.16 हे0 कायम किये गये जो अन्य भूमियों के साथ दर्ज कर दिये जिसमें से खसरा नम्बर 232 की 2.66 हे0 व खसरा नम्बर 234 की 0.31 हे0 बेचान हो गयी शेष भूमि पर भवानी सिंह जी काबिज काश्त रहे । भवानी सिंह जी के देहावसान हो गया उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने कियाकर्म व अन्य सामाजिक कार्य क्रम पूरे किये । भवानी सिंह जी ने अपने जीवनकाल में अपीलान्टा के अलावा अन्य किसी वारिस के पक्ष में कोई वसीयत नहीं लिखी और ना ही कोई दस्तावेज आलेखित किया । अपीलान्टा मृतक खातेदार भवानीसिंह की वसीयत व वारिस व उत्तराधिकारी है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार रामगंजमण्ड ने मृतक भवानी सिंह जी का फोती नामान्तरकरण नं0 365 दिनांक 29.6.2015 को रेस्पो0 नं0 1 ता 16 व अपीलान्टा के पक्ष में तस्दीक कर दिया । अपीलान्टा अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला है जो वक्त इंतकाल वसीयत के वावत कुछ नहीं कह सकी कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का इंतकाल नं0 365 दिनांक 29.6.2015 वसीयत की गयी भूमि की सीमा तक विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलान्टा के पक्ष में आलेखित रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्टा द्वारा कहीं रख दिये जाने के कारण वक्त इंतकाल पेश नहीं कर सकी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक भवानी सिंह जी की वसीयत की गयी भूमि के साथ अन्य भूमियों का भी फोती इंतकाल सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दिया । नामान्तरकरण नं0 365 दिनांक 29.6.2015 को तस्दीक किया गया जिसकी अपीलान्टा को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्टा अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला है जो वक्त इंतकाल वसीयत के वावत कुछ नहीं कह सकी अभी हाल ही में अपीलान्टा को उसके वक्से में पुराने कपडों को निकालने पर भवानीसिंह जी द्वारा अपीलान्टा के पक्ष में आलेखित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 13.12.2004 अपीलान्टा को दिनांक 26.6.2025 को मिली तव अपीलान्टा ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड की नकले व खाते की निकलवायी तव वक्त फोती इंतकाल का पता चला, इस पर इंतकाल नकी नकल प्राप्त करने का आवेदन पेश करने पर दिनांक 9.7.2025 को

नकल प्राप्त करने पर जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य पेश की गयी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं0 365 दिनांक 29.6.2015 को वसीयत की गयी भूमि की सीमा तक निरस्त किया जावे व स्व0 भवानी सिंह की वसीयत के अनुसार खसरा नम्बर 452,636,458,457,459 की पांच किता की 2.19 हे0 भूमि का इंतकाल अपीलान्टा के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अपीलान्टा के नाम दर्ज किये जाने व रेस्पो0 नं0 1 लगायत 16 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के विरासत का इंतकाल संख्या 365 दिनांक 29.7.2025 के विरूद्व दिनांक 15.7.2025 को पेश की गई है जो लगभग 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो निर्धारित समयावधि में नहीं है । विलम्ब के लिए बताये गये कारण की वह वसीयत को कहीं रख दी गई तथा अब 10 वर्ष बाद दिनांक 26.6.2025 को मिलना बताया है जो ठोस आधार के अभाव में मान्य नहीं है । वैसे भी वसीयत 10 वर्ष पुरानी है तथा मृतक खातेदार का इंतकाल स्वीकृत करते वक्त अपीलांटा द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी को वसीयत प्रस्तुत नहीं की है, जिस कारण तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा विधि अनुरूप मृतक खातेदार का विरासत का इंतकाल खोलना स्वाभाविक है, प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाते है । वसीयत 10 वर्ष से अधिक पुरानी होने से तथा मृतक खातेदार का विरासत का इंतकाल स्वीकृत होने से वसीयत का प्रमाणिकरण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । अपील मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है । अपीलांट वसीयत का प्रमाणिकरण हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अपीलाधीन इंतकाल में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा